संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व
रायपुर–छत्तीसगढ़

दूरभाष : 0771–2537404, टेलीफैक्स 0771–2234731

ई–मेल : deptt_culture@yahoo.co.in वेब साइट : www.cgculture.in

क्रमांक 2351 /स.पु./ 2019 रायपुर, दिनांक 12/9 /19

मंहत घासीदास स्मारक संग्रहालय, रायपुर में गढ़कलेवा संचालन हेतु रूचि की अभिव्यक्ति (EOI)

मंहत घासीदास स्मारक संग्रहालय, रायपुर में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का खानपान के केन्द्र 'गढ़कलेवा' संचालन हेतु वार्षिक अनुबंध पर ठेका दिये जाने हेतु सीलबंद लिफाफे में रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक फर्म रूचि की अभिव्यक्ति प्रपत्र कार्यालयीन समय में संग्रहाध्यक्ष, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, रायपुर मे 500/–नगद (जो वापसी योग्य नही है) जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी कार्यालय संचालनालय, संस्कृति एवं पुरातत्व, रायपुर के वेबसाईट www.cgculture.in में भी देखा जा सकता है। इच्छुक संस्था को अंतिम तिथि तक सीलबंद रूचि की अभिव्यक्ति रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के द्वारा संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व रायपुर में जमा करना होगा। सीलबंद रूचि की अभिव्यक्ति लिफाफे के उपर "रूचि की अभिव्यक्ति–मंहत घासीदास स्मारक संग्रहालय, रायपुर में गढ़कलेवा संचालन कार्य" अंकित करना होगा। रूचि की अभिव्यक्ति में किसी भी प्रकार परिवर्तन अथवा संशोधन होने पर जानकारी उक्त वेबसाईट में प्रदर्शित की जायेगी। संशोधन सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

ई.ओ.आई. प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि :– दिनांक 07.10.2019 समय शाम 5.00 बजे तक

ई.ओ.आई. प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि:– दिनांक 11.10.2019 समय दोपहर 2.00 बजे तक

ई.ओ.आई. खोलने की तिथि (तकनीकी बिट):– दिनांक 11.10.2019 समय अपरान्ह 3.00 बजे तक

ई.ओ.आई. खोलने की तिथि (फाइनेशियल बिट):– दिनांक 15.10.2019 समय अपरान्ह 3.00 बजे तक

संचालक
संस्कृति एवं पुरातत्व
रायपुर (छ.ग.)

अभिरूचि की अभिव्यक्ति के तहत नियम व शर्तें

महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, रायपुर परिसर स्थित 'गढ़कलेवा' का संचालन कार्य।

1. रूचि की अभिव्यक्ति वाले प्रथम लिफाफे में वांछित 1 से 12 तक सभी अभिलेख एवं दस्तावेज सुस्पष्ट एवं पठनीय पाए जाने पर ही दूसरा लिफाफा अर्थात वित्तीय प्रपत्र वाला लिफाफा खोला जायेगा।
2. रूचि की अभिव्यक्ति में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को संस्था/स्व सहायता समूह के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
3. संस्था/स्व सहायता समूह का जी एस टी नम्बर का जीवित प्रमाण पत्र देना होगा।
4. स्व–सहायता समूह के विरूद्ध किसी भी बैंक/शासकीय संस्था द्वारा वसूली की कार्यवाही की गई हो अथवा किसी ठेकेदारी कार्य के लिए ब्लेक लिस्टेट नही किया गया है, का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. स्व–सहायता समूह के द्वारा तैयार की जाने वाली खाद्य एवं पेय पदार्थ की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी तथा विभागीय समिति के सुझाव अनुरूप दर निर्धारित होगी जो बाजार दर से कम हो सकती है। गढ़कलेवा में छत्तीसगढ़ी व्यंजन/खाद्य सामग्री का ही निर्माण एवं विक्रय किया जायेगा।
6. संस्था/स्व सहायता समूह द्वारा रूचि की अभिव्यक्ति दो अलग–अलग सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा। पहले लिफ़ाफे के उपर तकनीकी प्रस्ताव तथा दूसरे लिफाफा के उपर वित्तीय प्रस्ताव लिखा जाना चाहिये। दोनों लिफाफा एक बड़े लिफाफे के भीतर रखकर सीलबंद कर कार्य का नाम **"महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर रायपुर में गढ़कलेवा संचालन कार्य"** अंकित करते हुए संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व, रायपुर के नाम से जमा करना होगा। निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात ई.ओ.आई. प्राप्त नहीं किया जायेगा।
7. गढ़कलेवा में आने वाले वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था स्वयं को करना होगा।
8. जल, विद्युत की व्यवस्था, संस्था/स्व सहायता समूह को स्वयं करना होगा।
9. संग्रहालय परिसर में संचालित होने के कारण गढ़कलेवा के बंद होने का समय रात्रि 8.00 बजे होगा।
10. संस्था/स्व सहायता समूह के द्वारा शासकीय अथवा गैर शासकीय संस्था में छ.ग.कलेवा के विक्रय एवं संचालन का कम से कम 3वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है।
11. किसी भी प्रकार का विवाद की स्थिति में संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व, रायपुर का निर्णय अनिवार्य रूप से मान्य होगा। न्यायालयीन वाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र रायपुर अधिकारिता रहेगा।
12. संचालक संस्कृति एवं पुरात्तव को यह अधिकार होगा कि ई.ओ.आई. तिथि समाप्त होने के बाद संबंधित संस्था/स्व सहायता समूह यदि उसी दर पर कार्य करने में सहमत हो तो सहमति के उपरांत आवश्यक समयावृद्वि की जा सकेगी।

संचालक
संस्कृति एवं पुरातत्व

डिसक्लेमर

1. प्रस्तुत दस्तावेजों में जो जानकारी दी गयी है वह रूचि की अभिव्यक्ति में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों की सुविधा और जानकारी मात्र के लिए है।
2. दस्तावेजों को तैयार करने में पूरी सावधानी बरती गयी है तथापि, यह रूचि की अभिव्यक्ति भरने वाले व्यक्ति का दायित्व है कि वह जानकारियों के संबंध में स्वयं सत्यापन कर पूर्ण रूप से संतुष्टि प्राप्त कर लेवे। यदि दस्तावेजों में वर्णित जानकारी या शर्तों में कोई कमी या विरोधाभास प्रतीत हो रहा हो तो उसे रूचि की अभिव्यक्ति जमा करने की अंतिम तिथि के दो दिन पूर्व संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व को लिखित सूचना के द्वारा जानकारी प्रदान की जाये, अन्यथा यह माना जायेगा कि रूचि की अभिव्यक्ति भरने वाले समुह/संस्था द्वारा दस्तावेजों के पर्याप्त एंव पूर्ण होने के संबंध में संतुष्ट है।
3. रूचि की अभिव्यक्ति दस्तावेज अनुबंध नहीं है और न ही कोई ऑफर है। ये दस्तावेज रूचि की अभिव्यक्ति जमा करने के इच्छुक व्यक्तियों को प्रस्ताव तैयार करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से जारी किये गये हैं। ये दस्तावेज प्रत्येक भाग लेने वाले व्यक्तियों/समूह/संस्था के उद्देश्य और आवश्यकताओं के अनुरूप एवं उपयुक्त हो ऐसा आवश्यक नहीं है। अतः रूचि की अभिव्यक्ति भरने वाले व्यक्ति/समूह/संस्था से अपेक्षा है कि समस्त जानकारियों के संबंध में स्वतंत्र रूप से सत्यापन एवं परामर्श प्राप्त करने के उपरांत रूचि की अभिव्यक्ति भरें।
4. रूचि की अभिव्यक्ति दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि, कमी, चूक आदि के लिए कार्यालय संग्रहाध्यक्ष, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय या उनके अधिकारी, कर्मचारी किसी प्रकार के उत्तरदायी नहीं होंगे और इन कारणों से विधि के प्रावधानों के अंतर्गत किसी प्रकार की कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
5. रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण का अर्थ यह नहीं है कि संचालक,संस्कृति एवं पुरातत्व रायपुर इस आमंत्रण के अंतर्गत प्राप्त रूचि की अभिव्यक्ति में से किसी रूचि की अभिव्यक्ति को स्वीकृत करने के लिए बाध्य है।
6. किसी रूचि की अभिव्यक्ति या सभी रूचि की अभिव्यक्ति को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार संचालक, संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व के पास सुरक्षित है।
7. संचालक, संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व द्वारा विभागीय वेबसाईट www.cgculture.in में सूचना प्रकाशित करते हुए, आवश्यक होने पर रूचि की अभिव्यक्ति जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाया जा सकता है, रूचि की अभिव्यक्ति सूचना की शर्तों में संशोधन, रूचि की अभिव्यक्ति दस्तावेजों में परिवर्तन या रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण पूर्णतः निरस्त किया जा सकता है। उक्ताशय की सूचना समाचार पत्रों में विज्ञापित नहीं की जायेगी, यह जानकारी उक्त विभागीय वेबसाईट में अपलोड की जाएगी जिसे डाउनलोड कर उपयोग किया जा सकता है।

संचालक
संस्कृति एवं पुरातत्व

(जारीकर्ता के हस्ताक्षर)

वित्तीय प्रपत्र

1. संस्था/स्व सहायता समूह का नाम एवं पूर्ण पताः–.....
   .....
   .....
   .....

2. विभाग को प्रति माह दी जाने वाली राशि रू (अंको में).....
   (शब्दों में).....
   (उक्त राशि सफल संस्था/समूह को प्रतिमाह विभाग के कैश शाखा में जमा करना होगा)

3. संस्था/स्व सहायता समूह का कार्य संतोषजनक तथा अनुबंध का शर्तो का उत्तम रूप से पालन किये जाने पर अनुबंध की अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।

4. संस्था/स्व सहायता समूह के द्वारा छत्तीसगढ़ी मुख्य व्यंजनों की सूची जो गढ़कलेवा में निर्मित की जावेगी एवं उनके बनाने के लिये उपयोग में आने वाली सामग्री की जानकारी/विवरण (इस हेतु आवश्यकतानुसार पृथक पृष्ठ संलग्न करें) प्रस्तुत करनी होगी, आवश्यक होने पर आवेदक से प्रत्यक्ष साक्षात्कार लिया जा सकता है।

(संस्था/समूह का हस्ताक्षर एंव सील)

तकनीकी प्रपत्र

1. संस्था/समूह का नाम एवं पूर्ण पताः–.....

   .....

   .....

2. प्रपत्र की जमा शुल्क रसीद का विवरणः–.....
3. कार्य का नामः– महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, रायपुर परिसर स्थित 'गढ़कलेवा' के संचालन कार्य।
4. कार्य का अनुभव का विवरण(प्रमाण पत्र सहित):–.....

   .....

5. अमानत राशि :– रू 50,000/–(रू पचास हजार) मात्र

   (डी.डी./एफ.डी.आर) संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व रायपुर
6. कार्य की अवधि/तिथिः– कार्यदेश से 01 वर्ष
7. आयकर विभाग द्वारा आबंटित पेन कार्ड की छायाप्रतिः–.....
8. अभिव्यक्ति जमा करने वाले व्यक्ति के आधार की सत्यापित छायाप्रतिः–.....
9. विगत 3 वर्षों (2016–17, 2017–18 एवं 2018–19) का छत्तीसगढ़ी व्यंजन संचालन का न्यूनतम अनुभव प्रमाण पत्रः– .....

10 जी.एस.टी. नम्बर का जीवित प्रमाण पत्रः– .....

11.संस्था/समूह का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्रः– .....

12.खाद्य और औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा जारी फूड लायसेंसः– .....

13.संस्था/फर्म का विगत तीन वर्षो (2016–17, 2017–18 एवं 2018–19)(जिसका चार्टडेट एकाउण्टेट का सत्यापन प्रमाण पत्र) प्रस्तुत किया जाना होगाः– .....

.....

14.रूचि की अभिव्यक्ति जमा करने वाले संस्था/समूह को 100/– का नान न्युडिशियन स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित (संलग्न प्रपत्र में) शपथ पत्रः– .....

.....

(संस्था/समूह का हस्ताक्षर एंव सील)